क्रम-संख्या—395

रजिस्टर्ड नं. ए. डी. . .

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4—खण्ड (क)

(सामान्य परिनियत नियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 28 जुलाई, 1977

श्रावण 5, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग-1

संख्या 45/2-5-(1)/77-राजस्व-1—उ0प्र0अधि0–1–61–नियम–61-संशो0(9)-77

लखनऊ, 27 जुलाई, 1977

अधिसूचना

सा0प0नि0–178—

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961) की धारा 44 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (नवां संशोधन) नियमावली, 1977

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (नवां संशोधन) नियमावली, 1977 कही जायगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 41 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण नियमावली, 1961 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 41 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
41—(1) नकद भुगतानों पर ब्याज की धनराशि भी नकदी में दी जायगी।	41—(1) नकद भुगतान [illegible] ब्याज की राशि भी नकदी में दी जायगी।
(2) नकद देय धनराशि का हिसाब निकटतम नये पैसे तक किया जायगा।	(2) नकद देय राशि [illegible] टतम पांच पैसे के पूर्णांक में किया जाय[illegible]

अ0 जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 12 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, स्तम्भ 1 में दिये गये अ0 जो0सी0 आकार-पत्र 12 के स्थान स्तम्भ—2 में दिया गया अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 12 रख दिया जायगा, अर्थात :—

स्तम्भ—1

वर्तमान अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र संख्या 12

(नियम 24 देखिये)

प्रस्तावित निर्धारण तालिका

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अ. जो. सी. आकार-पत्र संख्या 12

"अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 12

(नियम 24 देखिये)

प्रस्तावित निर्धारण तालिका

क्र0 सं0	जिला/तहसील	गांव	खाते का प्रकार	अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (अ0 जो0सी0 आकार-पत्र सं0 11 का स्तम्भ-6)	स्तम्भ 5 में भूमि के संबंध में देय राशि (अ0 जो0सी0 आकार-पत्र सं0 11 के भाग 1 का स्तंभ 12 या भाग 2 का स्तम्भ-10 या भाग 3 का स्तम्भ-8)	क्र0सं0 संख्या	जिला तहसील	गांव	खाते का प्रकार	अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल (अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र संख्या 11 का स्तम्भ 6)	स्तम्भ 5 में भूमि के संबंध में देय राशि (अ0 जो0सी0 आकार-पत्र-सं0 11 के भाग 1 का स्तम्भ-12 या भाग 2 का स्तम्भ-10 या भाग 3 का स्तम्भ-8)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

असामी/शिकमी काश्तकार की दशा में				असामी/शिकमी काश्तकार की दशा में			
ऊपर उल्लिखित खातेदार को देय राशि	अव्यतीत अवधि	असामी/शिकमी काश्तकार को देय राशि	असामी/शिकमी काश्तकार का नाम, पितृनाम और पता	ऊपर उल्लिखित खातेदार को देय राशि	अव्यतीत अवधि	असामी/शिकमी काश्तकार को देय राशि	असामी/शिकमी काश्तकार का नाम, पितृ-नाम और पता
7	8	9	10	7	8	9	10

धारा 17 के अधीन अनुसूची के भाग 4 में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में अवधारित राशि		मालगुजारी की बकाया या अन्य देय राशि जैसा कि अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र संख्या 10 के स्तम्भ 5 तथा 8 या उसकी अभ्युक्ति के स्तम्भ में है		धारा 17 के अधीन अनुसूची के भाग 4 में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में अवधारित राशि मालगुजारी की बकाया या अन्य देय राशि जैसा कि अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र संख्या 10 के स्तम्भ 5 तथा 8 या उसकी अभ्युक्ति के स्तम्भ में है या धारा 16 के अधीन उपयोग और अध्यासन के लिये क्षतिपूर्ति की राशि, जैसा कि अ0 जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 49 के स्तम्भ 5 में दिया गया है		
मद का नाम	अवधारित राशि (जैसा कि अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र संख्या 9 के स्तम्भ 9 में है)	बकाया का प्रकार	बेदखल किये जाने के दिनांक को बकाया राशि	मद का नाम	अवधारित राशि (जैसा कि अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र संख्या 9 के स्तम्भ 9 में है)	बकाया का प्रकार	बेदखल किये जाने के दिनांक को बकाया राशि
11	12	13	14	11	12	13	14

स्तम्भ—1

शुद्ध राशि का कुल योग, जो निम्नलिखित को देय हो		किस्तों का ब्योरा जिनमें राशि देय होगी			
ऊपर उल्लिखित खातेदार को	असामी/शिकमी काश्तकार को	किस्त की संख्या	किस्त की राशि	किस्त के देय होने का दिनांक	अभ्युक्ति
15	16	17 (क)	17 (ख)	17 (ग)	18

स्तम्भ—2

उपयोग और अध्यासन के लिए क्षति पूर्ति की राशि जैसा कि अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 49 के स्तम्भ 5 में दिया गया है।	वसूल की जाने वाली कुल बकाया राशि (स्तम्भ 14 और स्तम्भ 15)	शुद्ध राशि का कुल योग, जो निम्नलिखित को देय हो: ऊपर उल्लिखित खातेदार को	असामी/शिकमी काश्तकार को	किस्तों का ब्योरा जिनमें राशि देय होगी: किस्त की संख्या	किस्त की राशि	किस्त के देय होने का दिनांक	अभ्युक्ति
15	16	17	18	19 (क)	19 (ख)	19 (ग)	20

टिप्पणी:—(1) इस प्रस्तावित तालिका की उतनी अतिरिक्त प्रतिलिपियां तैयार की जायेंगी जितनी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की धारा 11 के अधीन असामी हों, किन्तु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त प्रतिलिपि में इस प्रस्तावित तालिका में केवल ऐसी प्रविष्टियां ली जायेंगी, जो उस अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में हों, जो उसके कब्जे में थी।

(2) अभ्युक्ति स्तम्भ में कुल देय राशि शब्दों में लिखी जायगी।

टिप्पणी:—(1) इस प्रस्तावित तालिका की उतनी अतिरिक्त प्रतिलिपियां तैयार की जायेंगी जितने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की धारा 11 के अधीन असामी हों, किन्तु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की अतिरिक्त प्रतिलिपि में इस प्रस्तावित तालिका से केवल ऐसी प्रविष्टियां ली जायेंगी, जो उस अतिरिक्त भूमि के संबंध में हो, जो उसके कब्जे में थी।

(2) अभ्युक्ति स्तम्भ में कुल देय राशि शब्दों में लिखी जायगी।"

अ.जी.सी. आकार-पत्र सं. 14 का संशोधन

4—उक्त नियमावली में, स्तम्भ 1 में दिये गये अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 14 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 14 रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1

वर्तमान अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 14

अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 14

[नियम 52(1) देखिये]

खातेदार तथा अन्य व्यक्तियों का रजिस्टर और धारा 17 के अधीन उन्हें देय राशि

तहसील------------------जिला-----------------

क्रम सं0	गांव	राशि के लिये हकदार व्यक्ति का नाम, पितृ नाम और पता	धारा 20 या 21 जैसी भी दशा हो, के अधीन अवधारित अंतिम राशि — राशि रु0 पै0
1	2	3	4

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 14

"अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र संख्या 14

[नियम 52 (1) देखिये]

खातेदार तथा अन्य व्यक्तियों का रजिस्टर और धारा 17 के अधीन उन्हें देय राशि

तहसील------------------जिला-----------------

क्र0 सं0	गांव	राशि के लिये हकदार व्यक्ति का नाम, पितृ नाम और पता	धारा 20 या 21, जैसी भी दशा हो, के अधीन अवधारित अंतिम राशि — राशि रु0 पै0
1	2	3	4

स्तम्भ-1			स्तम्भ-2		
अवधारण का दिनांक	अंतिम राशि से वसूल होने योग्य बकाया		अवधारण का दिनांक	अन्तिम राशि से वसूल होने योग्य बकाया, जैसा कि अ0जो0सी0 आकार-पत्र संख्या 12 के स्तम्भ 16 में दिया गया है।	
	राशि रु0 पै0	हस्तांतरण आकलन लेखा सं0 और दिनांक		राशि रु0 पै0	हस्तान्तरण आंकलन लेखा संख्या और दिनांक
5	6	7	5	6	7

देय शुद्ध राशि			नियम 30 द्वारा संगणित देय किस्त पर देय ब्याज यदि कोई हो	देय शुद्ध राशि			नियम 30 द्वारा संगणित देय किस्त पर देय ब्याज, यदि कोई हो
किस्त की संख्या	किस्त के देय होने का दिनांक	किस्त की राशि		किस्त की संख्या	किस्त के देय होने का दिनांक	किस्त की राशि	
8(क)	8(ख)	8(ग)	9	8(क)	8(ख)	8(ग)	9

भुगतान के लिये किस्त की संख्या	देय कुल राशि	प्रत्येक किस्त के भुगतान के वाउचर का दिनांक और संख्या	भुगतान के लिये देय किस्त की संख्या	कुल राशि राशि	प्रत्येक किस्त के भुगतान के वाउचर का दिनांक और संख्या
	राशि			रु0 पै0	
10(क)	10(ख)	11	10(क)	10(ख)	11

कोषागार/उप कोषागार में वाउचर भुनाने का दिनांक	अभ्यक्ति	कोषागार/उप कोषागार में वाउचर भुनाने का दिनांक	अभ्युक्ति
12	13	12	13

टिप्पणी:—(1) स्तम्भ 8 से 11 में प्रत्येक स्तम्भ की प्रविष्टि पृथक-पृथक पंक्ति में की जायगी।

(2) स्तम्भ 9 में ब्याज की गणना और स्तम्भ 10 में प्रविष्टि किस्त के भुगतान के दिनांक को की जायगी।

टिप्पणी:—(1) स्तम्भ 8 से 11 में प्रत्येक किस्त की प्रविष्ट पृथक-पृथक पंक्ति में की जायगी।

(2) स्तम्भ 9 में ब्याज की गणना और स्तम्भ 10 में प्रविष्ट किस्त के भुगतान के दिनांक को की जायगी।

[टिप्पणी:— जुलाई, 1973 तक यथापरिष्कृत और संशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण नियमावली, 1961 पहले प्रकाशित की जा चुकी है। बाद में इस नियमावली का संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया—

प्रथम संशोधन—अधिसूचना सं0 11/11-3(2)-73-रा-1, दिनांक 20 जुलाई, 1974।
द्वितीय संशोधन—अधिसूचना सं0 2-(2)/75-रा-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1975।
तृतीय संशोधन—अधिसूचना सं0 1127/रा-1-2 (3)-75, दिनांक 18 जून, 1975।
चतुर्थ संशोधन—अधिसूचना सं0 1 (67)/75-रा-1, दिनांक 18 सितम्बर, 1975।
पंचम संशोधन—अधिसूचना सं0 4411/2 (9)-75-रा-1, दिनांक 6 जनवरी, 1976।
षष्टम संशोधन—अधिसूचना सं0 43/2-5 (1)-76-रा-1, दिनांक 3 अप्रैल, 1976।
सप्तम संशोधन—अधिसूचना सं0 348/1-6 (23)-74-रा-1, दिनांक 21 मई, 1976।
अष्टम संशोधन—अधिसूचना सं0 159/2-5 (2)/76-उ0 प्र0 अधि0-1-61-नियम-61-संशो-(8) 76, दिनांक 8 सितम्बर, 1976।]